<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः - 79 / 11</u> संस्थापन दिनांकः -- 06 / 04 / 11 फाईलिंग नं. 233504000142011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

विक्की उर्फ राहुल पिता चैतराम उम्र 31 वर्ष, निवासी गंज आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 25.03.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 24.02.2011 को समय दोपहर करीब 03:00 बजे स्थान थाना आमला से आधा किलोमीटर पूर्व में बस स्टेंड आमला स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पास जिला मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए धारा 5 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बैतूल जिले की सीमाओं से निष्कासित किये जाने के बाद भी दिये गये निर्देशों का उल्लंघन कर बैतूल जिले में पाये गये।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि जिला मजिस्ट्रेट बैतूल द्व ारा दा.प्र.क. 10/15 में आदेश दिनांक 07.02.2011 के द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क एवं ख के अंतर्गत अभियुक्त विक्की उर्फ राहुल को बैतूल जिले की राजस्व सीमा एवं इससे लगे हुए जिले छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खण्डवा एवं हरदा की सीमा से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया गया था। उक्त आदेश की तामिली अभियुक्त को दिनांक 12. 02.2011 को करायी गयी और अभियुक्त को 48 घण्टे के भीतर उपरोक्त जिलों की सीमा से बाहर जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के पश्चात भी अभियुक्त के उसके निवास आमला आने की सूचना मिलने पर अभियुक्त की

उसके निवास गंज आमला में तलाश की गयी तो अभियुक्त आमला में उसके निवास पर उपस्थित मिला। अभियुक्त द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बैतूल के आदेश का उल्लंघन किया जाना पाया गया। तत्पश्चात थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 48/11 अंतर्गत धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त दिनांक 24.02.2011 को समय दोपहर करीब 03:00 बजे स्थान थाना आमला से आधा किलोमीटर पूर्व में बस स्टेंड आमला स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पास जिला मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए धारा 5 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बैतूल जिले की सीमाओं से निष्कासित किये जाने के बाद भी दिये गये निर्देशों का उल्लंघन कर बैतूल जिले में पाया गया ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

5 सरजेराव भौसले (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 24.02.2011 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को यह जानकारी प्राप्त होना प्रकट किया है कि अभियुक्त जिसे जिला दंडाधिकारी बैतूल द्वारा जिला बदर किया गया था और जिस पर जिला दंडाधिकारी के आदेश की तामिल की गयी थी फिर भी अभियुक्त जिले के अंदर रह रहा है। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उक्त सूचना प्राप्त होने पर जब वह गया तब अभियुक्त बैतूल जिले की सीमा में निवास करते पाया गया। अतः उसे जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर गवाहों के समक्ष गिरफतार करके अभियुक्त को थाना लाने के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख

की गयी।

- 6 अतुल कुमार डोंगरे (अ.सा.—4) ने वर्तमान में कलेक्ट्रेट कोर्ट में लायसेंस क्लर्क एवं अतिरिक्त किमिनल रीडर जिला बदर के प्रकरणों का कार्य करना एवं न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट बैतूल के दांडिक प्रकरण क. 10/09 शासन विरुद्ध विक्की उर्फ राहुल निवासी गंज आमला जिला बैतूल के मूल अभिलेख लेकर आना प्रकट किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 07.02.2011 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विक्की उर्फ राहुल का जिला बदर का आदेश पारित हुआ था। उक्त आदेश श्री विजय आनंद कुरील जिला दंडाधिकारी महोदय, द्वारा पारित .िकया गया था जिसकी मूल प्रति प्रपी—4 है एवं प्रकरण में संलग्न उसकी सत्यप्रतिलिप प्रति प्रपी—4—सी है।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र गवाह रमेश (अ.सा.—1) एवं राकेश (अ.सा.—2) ने पुलिस के द्वारा के द्वारा अभियुक्त को दी गयी किसी भी सूचना से अवगत न कराना एवं अभियुक्त को उनके समक्ष गिरफ्तार न करना प्रकट किया है परंतु उक्त दोनों ही साक्षियों ने गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—1) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा दोनों साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के समर्थन में साक्षियों ने कोई भी कथन नहीं किये हैं। अतः अभियोजन को उपर्युक्त दोनों साक्षियों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 8 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन का मामला प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 9 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से ही अभियोजन के मामले को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। अभिलेख पर विवेचक साक्षी एवं जिला दंडाधिकारी के रीडर की साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उनकी साक्ष्य से यह देखा जाना है कि उनके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।
- 10 सरजेराव भौसले (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त विक्की उर्फ विकास को जिला दंडाधिकारी बैतूल के द्वारा जिला बदर किया गया था और उस आदेश/नोटिस की तामिल अभियुक्त पर

करायी गयी थी परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में साक्षी ने यह बताया है कि जिला दंडाधिकारी बैतूल के नोटिस की तामिल उसके द्वारा करायी गयी थी अथवा नहीं वह आज नहीं बता सकता है। अतुल कुमार डोंगरे (अ.सा.—4) ने यह बताया है कि जिला दंडाधिकारी बैतूल के द्वारा दिनांक 07.02.2011 को अभियुक्त को जिला बदर किये जाने का आदेश किया गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में साक्षी ने यह बताया है कि उक्त आदेश एक वर्ष के लिए प्रभावी था। इसी पैरा में साक्षी ने अभिलेख का अवलोकन किये जाने पर यह भी बताया है कि अभियुक्त पर आदेश की तामिली करवायी गयी है परंतु किस दिनांक को करवायी गयी है उसका उल्लेख नहीं है।

अभियोजन के द्वारा अभिलेख पर जिला दंडाधिकारी बैतूल के आदेश की तामिल अभियुक्त पर किस दिनांक को करायी गयी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त पर आदेश की तामिल दिनांक 12.02.2011 को कराया जाना लेख है परंत्र ऐसा कोई भी दस्तावेज या ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तृत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि अभियुक्त पर नोटिस की तामिल दिनांक 12.02.2011 को करवायी गयी हो। अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त पर नोटिस की तामिल करायी जाकर उसे 48 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाने के लिए निर्देशित किया जाना लेख है परंतू ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त पर नोटिस तामिल कराये जाने के उपरांत उसे आदेशित किया गया हो कि वह 48 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर हो जाये। यद्यपि साक्षी अतुल कुमार डोंगरे (अ.सा.-4) ने बताया है कि अभियुक्त पर आदेश की तामिली करवायी गयी है परंतु किस दिनांक को करायी गयी है ऐसा अभिलेख में लेख नहीं है। तब ऐसी परिस्थितियों में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त को बैतूल जिले की सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश की तामिली उपरांत भी अभियुक्त बैतूल की सीमा में मिला हो। साथ ही अभियोजन के द्वारा रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की यह पता चले कि विवेचक सरजेराव भौसलें के द्वारा थाने से रवानंगी उपरांत क्या कार्यवाही की गयी थी। अतः इन परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 24.02. 2011 को समय दोपहर करीब 03:00 बजे स्थान थाना आमला से आधा किलोमीटर पूर्व में बस स्टेंड आमला स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पास जिला मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए धारा 5 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बैतूल जिले की सीमाओं से निष्कासित किये जाने के बाद भी दिये गये निर्देशों का उल्लंघन कर बैतूल जिले में पाया गया। फलतः अभियुक्त विक्की उर्फ राहुल को धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)